

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग


क्रमांक: एफ 1(7)()/एसीआर/परि./सान्याअवि/10/ 1444

जयपुर, दिनांक 7-1-2011

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1(8)सामान्य/सान्याअवि/ 10/52430 दिनांक 02.10.10 के द्वारा जिला स्तर पर संचालित विभागीय गतिविधियों मय स्टाफ के पंचायती राज विभाग को हस्तान्तरित की गयी। इस क्रम में पंचायती राज विभाग/संस्थाओं को हस्तान्तरित गतिविधियों से जुड़े विभाग में पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ति हेतु चैनल निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है। ये वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन चैनल वर्ष 2010-11 से प्रभावित होंगे।

क्र. सं.	पद का नाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकार अधिकारी
1	उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी (जिला स्तरीय) अधीक्षक गृह/जिला बालक अधिकारी (जिला स्तरीय स्वतंत्र प्रभार)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
2	उपनिदेशक/सहायक निदेशक/अधीक्षक गृह कार्यालयों के अधीन कार्यरत जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी (अधिनस्थ जिलों में)	कार्यालय अध्यक्ष	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
3	जिला कार्यालयों एवं अधीक्षक गृह/जिला बालक अधिकारी कार्यालयों में कार्यरत कनिष्ठ लेखाकार/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ लिपिक/छात्रावास अधीक्षक/वाहन चालक/केयर टैकर/नर्स/क्राफ्ट टीचर, आदि	कार्यालय अध्यक्ष	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग


आयुक्त 6/1/11

क्रमांक: एफ 1(7)()/एसीआर/परि./सान्याअवि/10/ 1445 - 1515 जयपुर, दिनांक 7-1-2011

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अ.शा. टीप क्रमांक 30 दिनांक 05.10.10 के क्रम में।
2. निजी सचिव, शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अ.शा.टीप दिनांक 29.11.10 के क्रम में।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर.....।
6. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....।
7. उप निदेशक/सहायक निदेशक, जिला परिषद एवं जिला परिषद अधीक्षक गृह/समाज कल्याण गृह/जिला बालक अधिकारी.....।
8. आदेश पत्रावली।